UPLK010002432025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 20 / 2025

सरकार बनाम निखिल कुमार

अ0सं0 565 / 2024
धारा–64(1),75(3),352,351(2),351(3) बी0एन0एस0
धारा 3(1)द,ध, 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–ठाकुरगंज, लखनऊ।

30–10–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त निखिल कुमार जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजग ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 64(1), 75(3), 352, 351(2), 351(3) बी0एन0एस0 धारा 3(1)द,ध, 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 20–12–2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010002432025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 20/2025

सरकार बनाम निखिल कुमार

अ0सं0 565/2024
धारा–64(1),75(3),352,351(2),351(3) बी0एन0एस0
धारा 3(1)द,ध, 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–ठाकुरगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त निखिल कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 18.11.2024, समय लगभग रात 11.00 बजे थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत एस0के0वाई हास्पिटल लालबाग रिंग रोड आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलता के साथ बलात्कार कारित किया। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलता का लैंगिक उत्पीड़न किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(3) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलता को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलात को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता संहिता की धारा 351(2) के

अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलात के साथ बलात्कार करने के उपरांत शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता संहिता की धारा 351(3) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलात को अनुसूचित जाति की सदस्या जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार द्वारा वादिनी मुकदमा कुसुमलात जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या हैं, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

अष्टमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त निखिल कुमार ने अनुसूचित जाति वादिनी मुकदमा कुसुमलता (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके साथ बलात्कार किया। जो भारतीय न्याय संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(5) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 30–10–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 30–10–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127